# प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.02.2021 जनपद देवरिया

## एसओजी टीम एवं थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा हत्या कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए आलाकत्ल व मृतका के कपड़े बरामद किया गया।

दिनांक 31.01.2021 को थाना गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरेरामपुर के पास रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त रेशमा पुत्री मजनू निवासी–हरेरामपुर थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया के रूप में की गयी, जिसके संबन्ध में मृतका के पिता मजनू अली पुत्र मुस्तफा निवासी–हरेरामपुर थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया की तहरीर के आधार पर थाना गौरीबाजार में मु0अ0सं0–28/2021 धारा–302,201 भादंसं का अभियोग संदिग्ध अभियुक्त शिवम चौहान पुत्र मदनलाल चौहान निवासी–हरेरामपुर थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश तिवारी द्वारा ग्रहण कर की जा रही है। उक्त घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी एसओजी टीम देवरिया एवं प्रभारी निरीक्षक गौरीबाजार मय पुलिस टीम आज दिनांक 02.02.2021 को क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर गौरीबाजार रेलवे स्टेशन के बाहर से अभियुक्त शिवम चौहान पुत्र मदनलाल निवासी–हरेरामपुर थाना–गौरीबाजार को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा बताया गया कि वह मृतका रेशमा का प्रेमी था तथा मृतका के भाई अरमान अली ने उससे कहा कि उसके बहन के संबन्ध अन्य से भी हैं और तुम्हारी बात मृतका से होती है, जिसे तुम मिलने के लिए रेलवे पुलिया के पास बुलाओ, जिसपर अभियुक्त शिवम चौहान द्वारा दिनांक 30.01.2021 को मृतका रेशमा को मिलने के लिए बुलाया गया था, जहॉ पर मृतका के भाई अरमान अली एवं उसके चचेरे भाई सैफ अली द्वारा अभियुक्त शिवम चौहान के साथ मिलकर मृतका रेशमा का गला व मुंह दबा कर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गयी। उक्त बयान से प्रकाश में आये अभियुक्त मृतका के भाई अरमान अली व चचेरे भाई सैफ अली को पश्चिमी ढ़ाला गौरीबाजार के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा अभियुक्त शिवम चौहान के साथ मिलकर अपनी बहन की हत्या किये जाने की घटना का इकबाल किया गया। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना स्थल से कुछ दूर गेंहू के खेत की झाड़ियों में छिपाकर रखे आलाकत्ल चाकू, मृतका के पैर का चप्पल व उसके कपड़े बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**बरामदगी का विवरणः–**

01.आलाकत्ल 01 अदद चाकू,
02.मृतका के एक पैर का चप्पल व कपड़े।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–**

01. शिवम चौहान पुत्र मदनलाल चौहान निवासी–हरेरामपुर थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया
02.अरमान अली पुत्र मजनू अली निवासी–हरेरामपुर थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया (मृतका का भाई)
03.सैफ अली पुत्र साबिर अली निवासी–हरेरामपुर थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया (मृतका का चचेरा भाई)

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–**

01.प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश तिवारी थाना–गौरीबाजार जनपद–देवरिया,
02.उ0नि0 अनिल कुमार यादव प्रभारी एसओजी टीम देवरिया,
03.उ0नि0 संतोष सिंह एसओजी टीम देवरिया,
04.उ0नि0 घनश्याम सिंह एसओजी टीम देवरिया,
05.मु0आ0 योगेन्द्र प्रसाद एसओजी टीम देवरिया,
06.मु0आ0 धन्नजय श्रीवास्तव एसओजी टीम देवरिया,
07.मु0आ0 अरूण खरवार एसओजी टीम देवरिया,
08.कां0 सुदामा यादव एसओजी टीम देवरिया,
09.कां0 प्रशान्त शर्मा एसओजी टीम देवरिया,
10.कां0 मेराज अहमद एसओजी टीम देवरिया,

11.कां0 विमलेश सिंह सर्विलांस टीम देवरिया,
12.कां0 सुधीर मिश्र सर्विलांस टीम देवरिया,
13.कां0 प्रदीप कुमार थाना गौरीबाजार,
14.कां0 गिरीजेश थाना गौरीबाजार,